न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या– 107/2013–14 अन्तर्गत धारा–333 भू0रा0अधि0

जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 अमरदेव, निवासी–रामदयालपुर, पट्टी हल्दुखाता, तहसील कोटद्वार, गढ़वाल।

बनाम

1– नत्थी प्रसाद, 2. दाताराम पुत्रगण प्यारेलाल, 3. कान्ता मणी, 4. प्रभुलाल पुत्रगण बिहारी लाल, 5. महिपाल सिंह, 6. शिशुपाल सिंह पुत्रगण सुलतान सिंह, 7. सत्य प्रसाद पुत्र शिवदत्त, 8. ईश्वर दत्त पुत्र गिरधारी लाल, समस्त निवासीगण– रामदयालपुर, पट्टी हल्दुखाता, तहसील कोटद्वार, गढ़वाल, 9. प्रधान ग्राम सभा मगनपुर, पट्टी हल्दुखाता, तहसील कोटद्वार, गढ़वाल।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, अध्यक्ष।

अधिवक्ता अपीलकर्ता : श्री एस0के0 सुन्दरियाल ।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्रीमती सरोज डबराल।

निर्णय

यह द्वितीय अपील विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा अपील संख्या–56/2009–10 जगदीश प्रसाद बनाम नत्थी प्रसाद आदि में पारित आदेश दिनांक 25–10–2013 जिससे सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा वाद संख्या–9/94–95 प्यारेलाल बनाम प्रभुलाल अन्तर्गत धारा 176 जं0वि0अधि0 में पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05–06–2006 एवं अभियुष्टि निर्णय दिनांक 17–08–2010 की पुष्टि की गई है के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत है:–

प्रतिपक्षी संख्या–1 व 2 के पिता प्यारेलाल पुत्र मक्खन लाल निवासी–रामदयालपुर, कोटद्वार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–176 जं0वि0अधि0 का सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के समक्ष दिनांक 06–03–1995 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम रामदयालपुर, पट्टी हल्दुखाता, तहसील कोटद्वार के ख्तौनी खाता संख्या–11 के सम्पूर्ण रकबे में मूल रूप से तीन खातेदार क्रमशः प्यारेलाल पुत्र मक्खनलाल, प्रभुलाल व कान्तीमणि पुत्रगण बिहारीलाल एवं जगदीश प्रसाद पुत्र अमरदेव प्रत्येक 1/3 हिस्से के हिस्सेदार है, कि उसके पास दोयम किस्म की भूमि है जबकि अन्यों के पास अब्बल

भूमि है। कानूनन सभी खातेदारों के पास एक जैसी भूमि होनी चाहिए, कि जब प्रार्थी ने बार–बार बंटवारा करने को कहा तो विपक्षीगण तैयार नही हुए तथा बिना बंटवारे के भूमि को विक्रय कर रहे हैं। अतः उनके उक्त खाते का बंटवारा कराया जाय तथा उसका खाता अलग किया जाय।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार ने निमयानुसार वाद दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस भेजा जाय तथा सम्बन्धित उम्रदार अमीन से हक लिस्ट प्राप्त की। हक लिस्ट पर प्रतिवादी संख्या–3/अपीलकर्ता जगदीश प्रसाद ने आपत्ति प्रस्तुत की कि उसका वादग्रस्त भूमि में खानदानी सजरा के अनुसार 1/2 हिस्सा है परन्तु सम्बन्धित अमीन द्वारा उसका हिस्सा वास्तविक हिस्से से कम दर्शाया गया है।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार ने पक्षकारों को विधिवत सुनने तथा प्रस्तुत आपत्ति एवं अभिलेखों के आधार पर दिनांक 05–06–2006 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध वादी/प्रतिपक्षी संख्या–1 ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अन्ततः आदेश दिनांक 23–10–2004 से स्वीकार कर प्रकरण विद्वान सहायक कलेक्टर, कोटद्वार को आदेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया गया तत्पश्चात विद्वान सहायक कलेक्टर, कोटद्वार ने पुनः विधिवत सुनवाई कर दिनांक 17–08–2010 को प्रारम्भिक आज्ञप्ति दिनांक 05–06–2006 को यथावत रखा। आदेश दिनांक 17–08–2010 के विरूद्ध विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 25–10–2013 से निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं उपलब्ध अभिलेखों/अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन एवं अध्ययन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में मुख्यतः यह उल्लिखित किया है, कि प्रतिवादी संख्या–3 के पिता अमरदेव को 18 बीघा का पट्टा मिला था, कि 36 बीघा का पट्टा प्रतिवादी संख्या–3 के दादा मोहन लाल को मिला था, कि मोहन लाल के दो पुत्र मक्खन और अमरदेव हुए तो मोहन लाल की सम्पत्ति में 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 3 के पिता अमरदेव का हुआ और 1/2 भाग मोहन लाल पुत्र वादी और अन्य प्रतिवादी को हुए, कि कुल मिलाकर 2/3 भाग प्रतिवादी संख्या 3 का हुआ और 1/3 भाग वादी और अन्य प्रतिवादी का हुआ, कि ऐसा सारवान दस्तावेज वादी द्वारा दाखिल नही किया गया जिससे स्पष्ट हो सके, कि मोहन लाल अमर देव प्रतिवादी संख्या 3 का पिता न हो, कि वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज द्वारा ही स्पष्ट होता है, कि मोहल लाल के दो पुत्र उपरोक्त चार्ट के अनुसार थे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वर्ष 1996 में उपरोक्त दाखिल पट्टा उनके पास होते हुए भी प्रस्तुत नही किया क्योंकि उन्हें आभास था कि यदि पट्टा दाखिल होता है तो प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 2/3 पी0डी0 हो जायेगी क्योंकि

प्रतिवादी संख्या 3 खाते में कानूनन 2/3 का मालिक है, कि स्थिति यह है कि मोहन लाल ने प्रतिवादी संख्या 3 की दादी को अपने घर बतौर पत्नी ले आये थे और बतौर पत्नी रखने से मोहन लाल से अमरदेव पैदा हुए। बंटवारा वाद में अगर कोई पक्ष हाजिर भी नही है तो उसके अधिकार में कटौती नही की जा सकती, कि न्यायालय द्वारा जो पी0डी0 वर्ष 2006 में बनायी गई है वह सरासर विधि के प्रतिकूल है और उसमें प्रतिवादी संख्या 3 को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया, कि अमर देव के पिता का नाम मोहन लाल और वादी के दादा का नाम भी मोहन लाल स्पष्ट रूप से स्वयं वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजों से स्पष्ट होता है, कि पटवारी द्वारा दिनांक 13–03–2005 को हक लिस्ट बनायी गई जबकि हक लिस्ट के लिए कोई आर्डर न्यायालय द्वारा नही हुआ, कि वादी ने प्रधान प्रमाण पत्र जो दाखिल साक्ष्य सरासर फर्जी है। इस प्रकार के प्रमाण पत्र साक्ष्य में ग्राह्य नही है।

प्रतिपक्षी संख्या–1 से 4 ने अपनी लिखित बहस में उल्लिखित किया है, कि मा0 अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं उसमें पारित प्रश्नगत आदेश वैधानिक है, कि न्यायालय ने दोनो पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर वैधानिक डिक्री पारित की है, कि पत्रावली में प्रस्तुत खामस्टेट द्वारा दिये गये सन् 1925 के विपक्षीगणों के पट्टे की नकल सन् 40 के खतौनी की नकल तथा सन् 61, 62, 63, 64 आदि की विपक्षीगण व अपीलार्थी की भूमि के खसरे की नकल के आधारों पर व हाल के खतौनी व किसान बही के आधारों पर ही उपरोक्त हक लिस्ट तैयार की गई है, कि अपीलार्थी के स्व0 पिता अमरदेव के पिता का नाम मोहन लाल था, केवल इस बात के कहने से यह साबित नही होता कि अपीलार्थी का पिता विपक्षीगणों के पिता का सगा भाई हो, कि अपीलार्थी धूलिया जाति का है तथा प्रतिवादी नं0–1, 2, 3, 4 केष्टवाल जाति के है, कि अपील का पैरा नं0 7, 6 बिल्कुल झूठा व मनगढ़न्त होने के कारण प्रतिवादीगण को स्वीकार नही है, कि जगदीश प्रसाद ने केवल अपने बयान में कहा है कि उसके पिता मोहन लाल के पुत्र थे किसी दस्तावेज या गवाही द्वारा सिद्ध नही किया है, कि सत्य है कि मोहनलाल जी का एकमात्र पुत्र मक्खनलाल था जिस समय मोहनलाल 70 वर्ष के थे। उनका पुत्र व पुत्रवधु मर चुके थे उनके केवल दो पौत्र प्यारे लाल व बिहारीलाल नाबालिग बच्चे बचे थे इस वजह से उन बच्चों के पालन पोषण वास्ते 70 वर्ष की अवस्था मे उन्होंने किसी कौसादेवी जो चरगांव की थी तथा उसका पहले से ही एक पुत्र अमरदेव था जो उसके साथ ही आया था उसको रख लिया था इसी वजह से मोहनलाल ने उसके पुत्र अमरदेव को 01 हिस्सा दिया था तथा 02 हिस्से अपने लिये रखे थे क्योंकि उनके दो पौत्र थे इसलिए पट्टे में अमरदेव के पिता के स्थान पर कुछ नही लिखा है, कि ग्राम रामदयालपुर के खाते में 54 बीघा भूमि है जिसका 1/3 हिस्सा सन् 1925 से ही प्यारेलाल व 1/3 हिस्सा बिहारीलाल व 1/3 हिस्सा अमरदेव के पास था तथा अब उनके वारिसान के पास है, कि अपीलार्थी स्वयं को मोहनलाल के पौत्र घोषणा करने बावत सिविल दावा कर सकते है लेकिन बंटवारे में इस बात की घोषणा नही हो सकती है।

यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि का वर्ष 1925 में जो पट्टा स्वीकृत किया गया है उसमें मोहनलाल पुत्र रामदयाल को 02 हिस्सा एवं अमरदेव जो कि अपीलकर्ता का पिता है उसे 01 हिस्सा संयुक्त रूप से आवंटित किया गया है। मूल पत्रावली पर उपलब्ध वर्ष 1940 की खतौनी में भी प्यारेलाल, बिहारीलाल पुत्र मक्खनलाल 02 हिस्सा तथा अमरदेव पुत्र मोहनलाल 01 हिस्सा अंकित है। दिनांक 10–10–1995 को अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में जो बयान दर्ज कराये हैं उसमें उसने वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा होना स्वीकार किया है लेकिन दिनांक 05–03–2010 को प्रस्तुत शपथपत्र सहित बयानों में 2/3 हिस्सा होने का कथन किया है। विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 17–08–2010 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रश्नगत खाते में अपीलकर्ता के द्वारा 2/3 भाग/अंश की मांग की गई जबकि पूर्व में अपने बयानों में उनके द्वारा प्रश्नगत खाते में 1/2 भाग/अंश की मांग की गई है। खाम भाबर के पट्टे में जब मोहनलाल को दो हिस्सा तथा अमरदेव को एक हिस्सा स्पष्ट रूप से आवंटित हुआ है तो इसका यही तात्पर्य है कि मोहनलाल ने तत्समय में ही अमरदेव को एक हिस्सा पट्टे में आवंटित करा दिया था अर्थात् मोहनलाल आवंटित पट्टे की कुल भूमि मध्ये दो हिस्से के स्वामी हुए तथा अमरदेव एक हिस्से के स्वामी हुए। पट्टे में आवंटित भूमि का हिस्सा दर्ज है तथा मोहनलाल के पुत्र मक्खनलाल तथा उनके पश्चात उनके पुत्र प्यारेलाल, बिहारीलाल पट्टे में आवंटित दो हिस्से पर तथा अमरदेव अपने एक हिस्से पर काबिज काश्त रहे। इसी आधार पर वर्ष 1940 की खतौनी में प्यारेलाल, बिहारीलाल पुत्र मक्खनलाल दो हिस्सा तथा अमरदेव पुत्र मोहनलाल एक हिस्सा दर्ज किया गया है। अपीलकर्ता के पिता अमरदेव को वर्ष 1925 में मोहनलाल के द्वारा आवंटित पट्टे में एक हिस्सा स्वीकृत कराया गया है इसलिए अब वह प्रतिवादी मोहनलाल के विरासत के आधार पर हक/अंश की मांग नही कर सकते हैं। विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय व आज्ञप्ति में यह भी अवधारित किया है कि गवाहों ने मौखिक साक्ष्य में कहा है कि स्व0 मोहनलाल मूल खातेदार के एक ही पुत्र मक्खनलाल थे जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज बल्दियत के आधार पर मान्य नही है। स्व0 अमरदेव के पिता कौन थे अथवा स्व0 अमरदेव मूल खातेदार मोहनलाल के पुत्र नही थे का निर्णय दीवानी न्यायालय ही कर सकता है।

विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने भी अपने आक्षेपित निर्णय व आज्ञप्ति में स्पष्ट विवेचित किया है कि अभिलेखों के अनुसार कब्जे के आधार पर हिस्साकस्सी भी प्यारेलाल एवं बिहारी (उत्तरदाता/प्रतिवादी) के पक्ष में जाता हैं यह भी सही है कि मोहनलाल अथवा मोहनलाल के दो पुत्रों के पक्ष में 2/3 और अमरदेव के पक्ष में 1/3 हिस्से का पट्टा सन् 1925 में हुआ है। प्रतिवादी संख्या–03 जगदीश जो स्व0 अमरदेव का पुत्र है, का कथन है कि उनके दादा मोहनलाल हैं एवं मोहनलाल को दिया गया पट्टे में से भी 1/2 भाग उसे मिलना चाहिए। साक्ष्यों से यह भी प्रकाश में आया है कि मोहनलाल के मूल गांव में अमरदेव अथवा जगदीश का कोई हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी स्व0 प्यारेलाल एवं बिहारीलाल के पुत्रों का कथन है कि जब मोहनलाल 70 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी व पुत्रवधू की मृत्यु हो गई थी

तथा उनके दो नाती प्यारेलाल एवं बिहारीलाल उस वक्त 7 वर्ष व 5 वर्ष के थे, जिनका लालन पालन के लिए मोहनलाल ने 70 वर्ष की उम्र में कौसादेवी (अपीलांट की दादी) को रख लिया था, जो अपने साथ अपने पूर्व पति के पुत्र अमरदेव को साथ लाई थी। यह सिद्ध नही हो पाया है कि अमरदेव के पिता यदि मोहनलाल नहीं थे तो कौन था। यद्यपि अभिलेखों में अमरदेव के पिता मोहनलाल ही दर्ज चला आया है। इस प्रकार अवर न्यायालय के द्वारा इस बिन्दु पर दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने का निष्कर्ष देते हुए कोई निर्णय नही दिया है यह बिन्दु सबसे महत्वपूर्ण है। अमरदेव एवं जगदीश प्रसाद की ओर से भी प्रतिवादी के द्वारा इस बिन्दु पर की गई आपत्ति पर राजस्व अभिलेखीय इन्द्राजों के अलावा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अमरदेव मोहनलाल के वास्तविक एवं वैधानिक पुत्र थे। यद्यपि प्यारेलाल एवं बिहारीलाल की ओर से अमरदेव मोहनलाल के पुत्र न होने के सम्बन्ध में कुछ साक्ष्य गवाहान भी प्रस्तुत किये है फिर भी यह निष्कर्ष निकाला नही जा सका है कि अमरदेव मोहनलाल के पुत्र नही थे। अपीलांट जगदीश प्रसाद की ओर से भी यह स्वीकार किया गया है कि मोहनलाल के द्वारा दूसरी शादी की गई एवं उससे अमरदेव पैदा हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि सन् 1925 में मोहनलाल के पक्ष में दो हिस्सा एवं अमरदेव के पक्ष में एक हिस्सा पट्टा हुआ था, इससे यह निष्कर्ष लिया जा सकता है कि मोहनलाल के द्वारा अमरदेव के पक्ष में पृथक से पट्टा करा दिया गया और यह भी स्पष्ट है कि एक ही पट्टे में मोहनलाल एवं अमरदेव के हिस्से तय किये गये है। इससे यह प्रतीत होता है कि मोहनलाल के द्वारा अमरदेव को एक पृथक परिवार के रूप में माना था जिससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमरदेव के वास्तविक पिता मोहनलाल नहीं थे। इसके बाद बन्दोबस्त के समय भी प्यारेलाल एवं बिहारीलाल का नाम मोहनलाल के हिस्से के भाग पर यथावत बना रहा। सन् 1925 से इस बंटवारे वाद तक अमरदेव एवं जगदीश प्रसाद की ओर से कोई आपत्ति न होना स्पष्ट है। मौके में भी प्रतिवादी प्यारेलाल, बिहारीलाल के वारिसानों का कब्जा तस्दीक होने के आधार पर हिस्साकस्सी की गई है। इन समस्त साक्ष्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जब तक अमरदेव के मोहनलाल का वास्तविक पुत्र होने के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा अन्यथा आदेश नही होता है तब आदेश दिनांक 17–08–2010 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ दोनो न्यायालयो द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष अंकित किये गये हैं जिन्हें द्वितीय अपील में तब तक प्रतिस्थापित नही किया जा सकता जब तक कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में कोई विपर्यस्तता परिलक्षित न हो। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को द्वितीय अपील में प्रतिस्थापित नही किया जा सकता है।

दूसरा तथ्य यह है कि मूल खातेदार मोहनलाल के नाम वादग्रस्त भूमि के ग्राम के अतिरिक्त अन्य दो ग्रामों में भी भूमि दर्ज अभिलेख है जिनमें अपीलार्थी जगदीश प्रसाद का नाम दर्ज अभिलेख नही है यदि अपीलार्थी के पिता अमरदेव मोहनलाल का पुत्र है तो अन्य दो ग्रामों के अभिलेखों में भी उसका नाम दर्ज होना चाहिए था जिसके लिए अपीलार्थी ने ऐसी कोई याचना आज तक नही की है क्योंकि इस सम्बन्ध में न तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है न ही ऐसा कोई कथन ही किया गया है।

तद्नुसार द्वितीय अपील अस्वीकृत होने योग्य है तथा आक्षेपित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 25–10–2013, 17–08–2010 एवं 05–06–2006 को यथावत रहने योग्य है।

आदेश

द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 25–10–2013, 17–08–2010 एवं 05–06–2006 की पुष्टि की जाती है। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 06/09/2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।